



ISSN: 2230-7850

IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)

VOLUME - 11 | ISSUE - 6 | JULY - 2021

“ महिला सशक्तिकरण चुनौतियों एवं संभावनाएँ ”

डॉ. अरुण कुमार गौतम¹, सुषमा शुक्ला², शुषमा शुक्ला³

¹प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य), शास. विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय मैहर, जिला - सतना (म.प्र.).

²शोधार्थी (वाणिज्य), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.) भारत.

³शोधार्थी (वाणिज्य), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.) भारत.

प्रस्तावना एवं शोध सारांश :-

भारत वर्ष द्वारा सन् 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें महिलाओं के लिए कई कानून विकास नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित अधिनियम बनाये गये जिससे महिलाओं के हितों की रक्षा हो सके एवं उनका उन्नयन हो। समाजिक संदर्भ में शक्ति का अभिप्राय नियंत्रण करने की क्षमता, निर्देशन की क्षमता, रक्षा करने की क्षमता एवं किसी को सहाय प्रदान करने की क्षमता से जाना जाता है। समाज में उसको शक्तिशाली माना जाता है, जो स्वयं को एवं साथ वाले को ऊपर उठा सके तथा बिना सहारे के समाज में स्वयं को स्थापित कर सके। काइरवेल संगठन के प्रबंध निदेशक रिचर्ड कार्वर ने सशक्तिकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताया है कि सशक्तिकरण में व्यक्ति स्वयं अपने लिए कार्य करने के सर्वश्रेष्ठ तरीके की खोज करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि, व्यक्ति द्वारा स्वयं अपनी सहायता करना ही सशक्तिकरण है। सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जो व्यक्तियों में जागरूकता एवं साहस पैदा कर आत्मविश्वास के भाव पैदा करती है तथा उसमें अन्तर्निहित क्षमताओं और कौशल के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती है। महिलाओं की प्रस्थितियों के बदलते स्वरूप- नारी पर जब भी कहीं चर्चा होती है तो व्यक्ति किसी भी स्तर का हो शिक्षित हो, अशिक्षित हो धार्मिक हो अधार्मिक हो नेता, कवि, लेखक, साहित्यकार समाज सुधारक, आलोचक नारी पर अपने दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं। नारी की संवेदना के बिना जीवन ही नहीं जग भी अधूरा है। नारी का अस्तित्व वस्तुतः आधी आबादी तक सिमटा नहीं है बल्कि संपूर्ण आबादी उसी के गर्भ में से जन्म लेती है, उसी के हाथों उसका पालन-पोषण होता है इसलिए माता बालक की प्रथम गुरु है।



यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः भुनस्मृति में उल्लेखित वाक्य का अर्थ जहाँ स्त्रियों की पूजा एवं सम्मान होता वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी सम्मान के इसी भाव के कारण संभवतः समृद्धि सम्पन्नता व शक्ति की उपासना स्त्री उपासना का प्रतीक है। वैदिक युग में घोषा, गाग्री, मैत्रेयी आदि विदुषी महिलाएँ हुई हैं जो पठन-पाठन में लगी रहती थी, उन्हें 'ब्रह्मवादिनी' कहा जाता था। नारी की स्थिति में देश-काल परिस्थिति के अनुसार सशक्त स्वरूप को देखा जा सकता है। लेकिन मनुस्मृति में जिस सामाजिक संरचना का वर्णन हुआ है वहीं से नारी के शक्ति के क्षरण का वातावरण भी तैयार होने लगा। वैदिक युग में नारी को समान शिक्षा व शास्त्रार्थ का अवसर मिलता था वहीं मनुस्मृति में नारी की पूजा एवं सम्मान की बात की जाती है। इसके साथ ही उसकी स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए 'मनु' ने यह व्यवस्था दी

कि स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन एवं वृद्धावस्था में पुत्र की अधीन रहना चाहिए। शायद दसवीं दशक में द्रवित होकर मैथिलीशरण गुप्त की पंक्तियाँ, अबला जीवन हाथ, तुम्हारी यही कहानी, ऑचन में दूध और आँखों में पानी निकल पड़ी।

कौटिल्य ने भी नारी का अविश्वसनीय चंचल, बुद्धिवाली माना है। कौटिल्य ने तो पत्नी को पिता के परिवार से तथा अन्य सगे संबंधियों से भी वंचित कर दिया। पुत्र-विहीन विधवा को पिता की संपत्ति से भी वंचित कर दिया। मध्यकाल में नारी की स्थिति और गिर गई जब लोग आक्रमणकारियों के भय से नारी सुरक्षा में असमर्थ हुए तो, कन्या को जन्म के बाद मार देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आठवीं से अठारहवीं शताब्दी के बीच मुगल साम्राज्य के पतन तक भारतीय नारी पर अधिक बंधन लगाये गये। विधवा को अशुभ व अमंगलकारी माना जाने लगा। सती प्रथा, जौहर प्रथा, पर्दाप्रथा विधवा की नियति बन गयी। बौ(काल में नारी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। शिक्षा विवाह तथा धार्मिक अनुष्ठानों में उन्हें भागीदारी मिलने लगी। मुगल काल में उन्हें फिर स्वतंत्रता से वंचित रखा गया तथा पुरुषों की संपत्ति माना जाने लगा। इसके बावजूद रज़िया बेगम, तारामती, जीजाबाई, अहिल्याबाई जैसी सशक्त राजनीतिज्ञ तथा दूरदर्शी नारियों का आभाव नहीं रहा। धार्मिक क्षेत्र में भक्ति की प्रतीक मीराबाई नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। किन्तु तुलसीदास के सुन्दरकाण्ड में जड़ समुद्र के मुख से ‘ढेर गँवार शूद्र पशु नारी’ सकल ताड़ना के अधिकारी पंक्तियाँ नारी स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न लगाकर विवादों को जन्म देती है।

अंग्रेजी शासन काल में एक नये युग की शुरुआत हुई। नारी स्वतंत्रता में प्रगति हुई और नारी सशक्तिकरण का नया अध्याय शुरू हुआ। रमाबाई राणाडे, आनन्दी बाई जोशी जैसी जागरूक महिलाओं ने 19वीं सदी में नारी समाज में नारी मुक्ति के लिए प्रयास किया। मुगल काल में नारी को शक्तिहीन बनाने में बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानन्द सरस्वती, टैगोर आदि समाज सुधारक सामने आये। महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 1970 में महिला विद्यालय की स्थापना तथा 1911 में डॉ. डी.के. कर्वे ने महिला विद्यालय की नींव डाली। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट बना तथा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। महात्मा गांधी ने नारी स्वतंत्रता में बहुत योगदान दिया। श्रीमती नायडू, अमृत कौर, कमला देवी चटोपाध्याय, कस्तूरबा गांधी आदि के सशक्त नारियों के नाम हैं। राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति स्वतंत्रता के बाद अस्तित्व में आयी। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपनी योग्यता से देश की प्रधानमंत्री बनी और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शताब्दी की महानतम महिला होने का गौरव प्राप्त किया। बछेन्द्री पाल प्रथम एवरेस्ट महिला विजेता बनी तो किरन बेदी देशी की पहली महिला आई.पी.एस. ऑफिसर बनी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव श्रीमती प्रतिभा पाटिल को प्राप्त हुआ। महिलाओं हेतु बच्चों के समुचित विकास के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1985 में महिला और बाल-विकास विभाग की स्थापना की गई। इसी विभाग की सिफारिश पर ‘राष्ट्रीय महिला आयोग’ व ‘राष्ट्रीय महिला कोष’ की स्थापना हुई। वर्ष 2000-2001 को वार्षिक बजट में ‘महिला सशक्तिकरण वर्ष’ घोषित किया गया जिसके तहत महिलाओं को राजनैतिक क्षेत्र में बराबरी की भागीदारी हेतु 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था अब इसे बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का यह प्रावधान सीधे चुनाव के जरिए भरी जाने वाली सीटों पर लागू होता है। पंचायतों में भी महिलाओं का आरक्षण 50 प्रतिशत हो गया है। महिलाओं के हितों में विधेयक लाना तथा सरकार द्वारा उनके विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ बनाने के प्रयास उचित हैं इसे एक सामाजिक आन्दोलन बनाया जाना चाहिए।

आज के इस तथाकथित सम्य समाज में भी स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। देश का शायद ही ऐसा कोई जिला है, जहाँ प्रतिदिन बलात्कार, यौन शोषण या दहेज हत्या की घटनाएँ न घटती हों। आज के भौतिकवादी चकाचौंध में नारी ने स्वयं को फंसाकर बाजार वादी संस्कृति का एक प्रमुख एवं आकर्षक माध्यम बना लिया है। जिसमें उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करने के लिए मीडियाई चैनल के माध्यम से स्वयं को अपने अधनंगें बदन के साथ प्रस्तुत कर रही है। नारी दुनिया के सामने पूरा जोर लगाकर खुद को भोग्या और बु(ि से रहित खूबसूरत देह सि(करने में लगी हुई है। इस संदर्भ खालिद अंसारी का कथन है- बेचारी स्त्री। इक्कीसवीं सदी चल रही है, लेकिन उसकी नादानी जस की तस। पहले पुरुष प्रधान समाज की उपेक्षा का पात्र रही और अब आधुनिकता के नाम पर इसी पुरुष प्रधान समाज के द्वारा छली जा रही है। पुरुष ने बड़े दोस्ताना अन्दाज में सुझाया कि नाचो आधुनिक और प्रगतिशील समझी जाओगी। अंधे को क्या चाहिए दो आसमान पर महसूस करने लगी। अब मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं, न सारे नियम कायदे की, न कपड़ों की अब मैं आजाद और खुद मुख्तार हूँ। बेरहम से बेरहम मर्दों से भी हजारों गुना आगे बढ़ गई हूँ। जब बेहयाई

पर उतरती हूँ तो मर्द मुझे देखते रह जाते हैं। वह झूम रही है मर्द उसे तन्मय होकर देख रहे हैं आपस में बातें कर रहे हैं, अरे यार कितना बढ़िया तरीका निकाला है।

दुनिया में छा जाने के लिए एक-दूसरे को धमियाते हुए शॉर्टकट का यह रास्ता चुनना अत्यंत आत्मघाती होगा। यदि पुरुषों ने स्त्रियों के साथ अत्याचार या इमोशनल ब्लैकमेलिंग की है तो नारी के प्रति स्वयं नारी ने भी कुछ कम नहीं किया। इस संबंध में मृदुला गर्ग कहती हैं- ‘जब भी स्त्री पर चर्चा होती है तो कुछ लोग यह आक्षेप अवश्य लगाते हैं कि, स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी शत्रु होती है माँ और सास का बेटी और बहू पर निष्ठुर अत्याचार संवेदन ही निष्ठुर व्यवहार इसके परिणाम स्वरूप पेश किये जाते हैं। लड़कियों के कमाने लायक होने पर खुद माँ-बाप आर्थिक शोषण करते हैं। और उसमें माँ की भूमिका बाप से कम नहीं होती। आज के भारतीय समाज का यह एक भयानक सत्य है। पुरुषों के साथ-साथ स्त्री स्वयं स्त्री के विकास एवं खुशहाल जीवन में सदियों से जहर घोलने का काम करती चली आ रही है। जब वह अपनी बेटी या बहू को प्रताड़ित करती है तो भूल जाती है कि, वह भी कभी बहू-बेटी रही है।

मीडिया के क्षेत्र में स्त्री की स्थिति भावुक उत्तेजक रूप में सामने आती है। नारी आज के उपभोक्तावादी युग में इस्तेमालवादी संस्कृति का एक अंग बन चुकी है। वस्तुओं के विज्ञापन के साथ-साथ नारी देह का भी बड़ा चित्ताकर्षक विज्ञापन हो रहा है। फिल्मों में नारी का कैसा रूप सामने आता है इस पर मंजूरानी सिंह कहती हैं - ‘स्त्रियों की ताकत दिखाते हैं उसके अधनंगेपन में। टाईवाले नायक को रिझाने के लिए मिनी स्कर्ट या मिनी पहनने का निर्देश होता है। गीत गाते या डांस करते हुए नायक का वस्त्र नहीं खुलता न कहीं से खिसकता है पर नायिका का ऑचल या दुपट्टा हमेशा गिरता-पड़ता-उड़ता है, वे अपने कपड़े सम्हाल नहीं सकती या सम्हालती नहीं।

आज की विज्ञापनीय औरतें यह भूल जाती हैं कि सुन्दर होना तो अच्छी बात है लेकिन सुन्दरता को उभारकर प्रस्तुत करना कितना घातक है। कामकाजी महिलाओं की जिंदगी आज के संदर्भ में कुछ हद तक संतोषजनक मानी जा सकती है। लेकिन सर्विस-पेशे के दौरान किन-किन परिस्थितियों से दो-चार होना पड़ता है इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस संबंध में प्रभा खेतान का वक्तव्य है- ‘बाहरी दुनिया में काम करते हुए अधिकतर स्त्रियाँ की मुख्य समस्या है गृहिणी और बच्चों के साथ स्वयं का सामंजस्य बैठाना। स्वाभाविक है कि किसी भी भूमिका का सही तरह से पालन न कर पाने के कारण ये अपराध बोध में ग्रस्त होती हैं। न वे अच्छी माँ बन पाती हैं और न कार्य जगत में एक कुशल कामकाजी। उसकी इस कमजोरी का फायदा व्यवस्था उठाती है। वास्तविक तो यह है कि किसी भी राष्ट्र का विकास बिना आधी आबादी को साथ लिये सम्भव ही नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों विकास के दो पहिये हैं और जब तक दोनों पहिये समान रूप से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक किसी देश का राष्ट्र के विकास की कल्पना करना महज कोरी कल्पना सिद्ध होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. महिला सशक्तिकरण आवश्यकताएँ सम्भावना पुस्तक महिला सशक्तिकरण दशा एवं दिशा
2. महिलाओं की स्थिति- क्रॉनिकल
3. डॉ. राजकुमार- नारी के बदलते आयाम
4. विनोद पाण्डेय- भारतीय समाज में नारी की भूमिका